

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 कैम्प रावत खेड़ा

प्रकरण संख्या/676/21

दिनांक :- 27-10-2021

उनवान

श्री. दुगलाल पुत्र गंगाराम बेरवा ब्राम

सरकार जरिये तहसीलदार
जहाजपुर जिला भीलवाडा

::: आदेश :::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज,
पटवारी हल्का रावत खेड़ा भू. अ. नि. जहाजपुर एवं नायब तहसीलदार
/तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तरनिया खेड़ा प. ह. रावत खेड़ा
की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 106, 108, 109 में
प्रार्थीगण की प्रविष्टि
दुगलाल पुत्र गंगाराम बेरवा
के स्थान पर
दुगलाल पुत्र गंगाराम
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश
जारी किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत की जाये।

the
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री दुगलाल पुत्र गंगाराम बेरवा
3. रक्षित पत्रावली

the
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा